उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ

संख्या: /उ.प्र.कौ.वि.मि./2020–21/का.आ./1656

दिनांक : 28 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषयः उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों के आवंटन के सम्बन्ध में।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं (डीडीयू–जीकेवाई तथा पीएमकेवीवाई–राज्य घटक को छोड़कर) में लक्ष्यों का आवंटन मिशन में अनुबंधित फ्लैक्सी, शासकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य किया जा रहा है।

2. डीडीयू–जीकेवाई के लक्ष्य पृथक से चयनित प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन एजेन्सीज के माध्यम से तथा पीएमकेवीवाई (राज्य घटक) के लक्ष्य विशिष्टतः उक्त योजना हेतु अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं के द्वारा पूर्ण कराये जा रहे है।

3. डीडीयू–जीकेवाई के अन्तर्गत प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन एजेन्सीज के चयन की भारत सरकार द्वारा विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित है, ताकि प्रमाणित साख (Proven Credentials) व अनुभव (Experience) वाली संस्थाओं का चयन ही संभव हो सके। उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ही प्रदेश में भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन एजेन्सीज का चयन किया जाता है।

4. इसी प्रकार पीएमकेवाई (केन्द्रीय घटक) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों तथा योजना हेतु अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य लक्ष्य आवंटित किये जाते है। इन संस्थाओं को भी कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने का विशद् अनुभव प्राप्त होता है।

5. अतः उक्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के अनुभव तथा उनके द्वारा स्थापित प्रशिक्षण अवस्थापनाओं का उत्तर प्रदेश कौशल मिशन द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षण योजनाओं में भी उपयोग करने तथा प्रशिक्षण लक्ष्यों को शीघ्रता व गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत अनुबंधित प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन एजेन्सीज तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/अनुबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी लक्ष्य आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. उक्त संस्थाओं को लक्ष्य आवंटन उसी दशा में किया जायेगा जब उनके द्वारा इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग उपलब्ध करायी जायेगी कि वे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं (अवस्थापनाओं प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की उपलब्धता इत्यादि) को सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अतिरिक्त अवस्थाओं व जनशक्ति का उपयोग मिशन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण करने में करेंगें, ताकि उक्त योजनाओं की प्रगति प्रभावित न हो।

7. सम्बन्धित संस्थाओं की अन्य योजनाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुरोध किये जाने पर मिशन और सम्बन्धित संस्थाओं के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। अनुबंध हस्ताक्षर होने के उपरान्त ही, अनुबंध की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार इन संस्थाओं को लक्ष्य आवंटन किये जा सकेंगे।

उक्त आदेश राज्य कार्यकारिणी समिति की 25वीं बैठक दिनांक 15.07.2020 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किये जा रहे है।

(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक

संख्याः 5862/उ0प्र0कौ0वि0मि0/एस/2020–21/का.आ./1656 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
2. प्रबंधक (आईटी) को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
3. गार्ड फाइल।

28/8/2020
(कुणाल सिल्कू)
मिशन निदेशक